न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.333 / अपील / 2018
(GCMS No. 2018 / 00570)

तारीख दायरा
06.08.2018

तारीख निर्णय
04.03.2024

कालूलाल आ. रामदेवा जाति मीणा,
निवासी ग्राम हनोत्या, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामलक्ष्मण आ. रामदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोत्या
2. रामजानकी पुत्री रामदेवा पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा
   निवासी ग्राम बूढादीत, तहसील दिगोद, जिला कोटा।
3. बदाम बाई पुत्री रामदेवा पत्नी मोहनलाल जाति मीणा
   निवासी ग्राम बीचड़ी, तहसील एवं जिला बून्दी।
4. तस्वीर पुत्री रामदेवा पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा
   निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील पीपल्या, जिला कोटा।
5. श्रवणी पुत्री रामदेवा पत्नी विष्णु जाति मीणा
   निवासी ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी।
6. कमला पुत्री रामदेवा पत्नी रामदेव जाति मीणा
   निवासी ग्राम भिण्डी, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी।
7. तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956.

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री शिवराज डोई, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री लोकेन्द्र कुमार डोई, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 की ओर से श्री अमरसिंह राठौड़, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 25.08.2017 ग्राम हनोत्या से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण ग्राम हनोत्या में विस्थित आराजी के खातेदार रामदेवा वल्द उदा कौम मीणा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 333/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2018/00570 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं.10 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, ख.सं. 474/48 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख.सं. 509/351 रकबा 15 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हनोत्या, तहसील बून्दी में स्थित है, जो रामदेवा आ. उदा मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार रामदेवा फोत हो गया है उसकी पत्नी पुष्पा बाई रामदेवा से पूर्व ही फोत हो गई थी। मृतक रामदेवा के 2 पुत्र अपीलांट व रेस्पो.सं. 1 तथा चार पुत्रियां रेस्पो.सं. 2 लगायत 6 है। खातेदार रामदेवा के फोत होने के उपरान्त रेस्पो.सं.7 के द्वारा फोती इंतकाल अपीलांट व रेस्पो.सं.1 लगायत 6 के नाम तस्दीक कर दिया गया है जो गलत है। मृतक खातेदार रामदेवा की जाति मीणा है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। अनुसूचित जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से विवाहित पुत्री का अपने पिता की सम्पत्ति में कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी रेस्पो. सं.7 द्वारा रेस्पो.सं. 2 लगायत 6 के नाम गलत तरीके से फोती नामान्तरकरण तस्दीक करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। अपीलांट ग्राम भिण्डी से 7–8 दिन पूर्व (माह जुलाई,2018 में) जब अपने गांव में बुआई करने के लिए आया, तब उसको उक्त आदेश की जानकारी मिली। जानकारी होते ही उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील मध्य अवधि पेश की गई है। मियाद कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(2) पेज 695 एवं आरआरटी 2005(2) पेज 1366 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 6 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा यह अपील करीब 1 वर्ष की देरी से पेश की है, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं है, ऐसे में इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 6 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि इस मामले में जो नामान्तकरण खोला गया है वह विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार रामदेवा के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 6 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 25.08.2017 की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 02.08.18 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम हनोत्या में विस्थित आराजी खसरा सं. 10, 474/48, 509/351 किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार रामदेवा वल्द उदा कौम मीणा थे। मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 5 दिनांक 20.6.13 के आधार पर खातेदार रामदेवा का विरासत का नामान्तरकरण कालूलाल, रामलक्ष्मण पि. रामदेवा, रामजानकी, बदाम, तस्वीर, श्रवणी, कमला पुत्रियां रामदेवा कौम मीणा के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार रामदेवा मीणा जाति का होने पर भी उसके विरासत नामान्तरकरण में पुत्रियां का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि रेस्पो.सं.2 लगायत 6 द्वारा विरासत का नामान्तकरण मृतक खातेदार रामदेवा के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने से विधिसम्मत होना मानते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाना है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में महिलाओं को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः 2014(3) DNJ (Raj.) पेज 1050 एवं RLW 2006(2) पेज 695 पर उद्धहरण न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामदेवा मीणा का विरासत का तस्दीक किया गया नामान्तरकरण दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 148 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते